भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.02.2021 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1497 का उत्तर

प्रीमियम इंडेंट नीति

1497. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
श्री कुरूवा गोरांतला मोघव:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:
श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:
श्री बेललाना चन्द्रशेखर:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मालवहन उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रीमियम इंडेंट से संबंधित नीति तैयार की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि उपभोक्ता प्रीमियम इंडेंट के लिए अनुरोध करता है तो नई नीति के अंतर्गत वरीयता आधार पर टैक्स के आवंटन में कितना समय लगने की संभावना है?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी हां।

(ख) और (ग): प्रीमियम इंडेंट योजना हेतु नीति निर्देश दिसम्बर 2020 में जारी किए गए हैं। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं:-

- **ग्राहक रेकों की सप्लाई की तारीख और यह भी सूचित कर सकते हैं कि अगर निर्धारित तारीख के बाद सामान्य टैरिफ दर पर रेक की सप्लाई होती है तो क्या वे माल का लदान करेंगे।**

- ग्राहक को सामान्य भाड़े पर 5 प्रतिशत प्रीमियम का अग्रिम रूप से भुगतान करना होगा। यदि इंडेंट पर दर्शाई गई तारीख के बाद रेक की सप्लाई की जाती है, तो भुगतान किए गए प्रीमियम को सामान्य भाड़े में समायोजित किया जाएगा।
- सामान्य भाड़े पर 5% प्रीमियम के भुगतान पर इंडेंट को ग्राहक द्वारा दर्शाए गए नामित दिन (दिनों) पर रेक के आबंटन में प्राथमिकता और आश्वासन दिया जाता है।
- माल शेड में भी, ग्राहकों को प्रीमियम इंडेंट प्रस्तुत करने की अनुमति है। ग्राहक को रेलवे बोर्ड की ओर से समय-समय पर जारी किए गए अधिमान्य यातायात आदेश (प्रिफ्रेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर) के तहत अधिसूचित किए गए अनुसार रेक आवंटन में दो दिन प्राथमिकता मिलेगी, जो कि इस समय सोमवार और शुक्रवार है। अन्य दिनों में इंडेंट की प्राथमिकता के सामान्य आदेश का पालन किया जाता है।
- एक बार प्रीमियम इंडेंट प्रस्तुत करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है; इंडेंट वापस लेने पर भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त हो जाएगा।
- यह प्रीमियम इंडेंट नीति प्रतिबंधित गंतव्यों और कोटा द्वारा विनियमित गंतव्यों पर लागू नहीं होगी।
- यह एक वैकल्पिक योजना है।

*****